

दिनांक 27.10.2023

पत्रावली पेश हुई। वाद पुकारा गया। राज्य की ओर से विद्वान नामित अधिवक्ता श्री रविन्द्र सिंह रावत उपस्थित। अभियुक्त मय विद्वान अधिवक्ता श्री विनोद चमोली उपस्थित।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली आज शेष अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत है। अभियोजन की ओर से स्थगन प्रार्थना पत्र कागज संख्या 62ब प्रस्तुत। सुना। न्यायहित में आज के लिये स्वीकृत।

पत्रावली वास्ते शेष अभियोजन साक्ष्य दिनांक 06.11.2023 को पेश हो। अभियोजन साक्षी तलब हो। पैरोकार नोट करे।

(प्रतीक मथेला)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पौड़ी
पौड़ी गढ़वाल।